



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 14, 2017/फाल्गुन 23, 1938

No. 185]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 14, 2017/PHALGUNA 23, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2017

सा.का.नि. 240(अ).—मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 04(अ), तारीख 04 जनवरी, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रभावित व्यक्तियों से उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किए गए थे;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां तारीख 04 जनवरी, 2017 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है, के उपनियम 125ग में, उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(5) केन्द्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम, 2017 के प्रारंभ की तारीख से छह मास को और उस अवधि की समाप्ति के पश्चात् दुतल्ला बसों की बॉडी बिल्डिंग के लिए परीक्षण और अनुमोदन, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन जब तक तत्स्थानी भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्दिष्ट अधिसूचित नहीं किए जाते हैं, तब तक समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-139:2016 के अनुसार होगा।"

[फा. सं. आरटी-11028/11/2016-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 120(अ), तारीख 10.02.2017 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2017

G.S.R. 240(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 04(E), dated the 04th January, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from affected persons before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

Whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 4th January, 2017;

And whereas, no objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2016.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Motor Vehicle Rules (hereinafter referred as the said Rules), in sub-rule 125 C, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(5) On and after the expiry of six months from the date of commencement of the Central Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2017, the testing and approval for body building of double decked buses shall be in accordance with AIS-139:2016, as amended from time to time, till the corresponding Bureau of Indian Standard specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).”

[F. No. RT-11028/11/2016-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 590(E) dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* number G.S.R.120(E) dated the 10th February, 2017.